बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र का एक दशक का सफर

● भारत डोगरा

विचार -विमर्श

बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र का एक दशक का सफर

● भारत डोगरा

प्रकाशन वर्ष : 2012

सहयोग राशि : ₹25.00

यह पुस्तिका **भारत डोगरा** द्वारा **सोशल चेंज पेपर्स** सी-27, रक्षा कुंज, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 फोन 011-25255303 से प्रकाशित एवं **कुलश्रेष्ठ प्रिंटर्स**, 11 त्यागी विहार, नांगलोई, दिल्ली-110041 फोन 25947648 से मुद्रित की गई है।

बजट व वंचित-उपेक्षित लोग

प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें अपना बजट तैयार करती हैं व इस बजट के अनुसार वर्ष भर का सरकारी खर्च होना चाहिए। बजट तैयार करने से पहले के दिन बड़े बिजनेस के व्यक्तियों व उनकी कंपनियों के लिए बहुत सरगर्मी के दिन होते हैं। बिजनेस व उद्योगों के प्रतिनिधि बजट के लिए जिम्मेदार वित्त मंत्रियों से मिलकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि इस तरह वे बजट के संदर्भ में अपने हितों को आगे बढ़ा सकेंगे।

पर हमारे लोकतंत्र में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट के संदर्भ में गरीब लोगों के हितों की रक्षा भी हो सकेगी या नहीं? विभिन्न वंचित-उपेक्षित समुदायों की आवाज भी सुनी जाएगी या नहीं? इसमें एक पक्ष तो यह है कि बजट बनने से पहले गरीब-वंचित समुदायों के हितों को मजबूती से पेश किया जाए। दूसरा अति महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद पूरे वर्ष के दौरान इस पर पैनी नजर रखी जाए कि बजट के प्रावधानों के अनुकूल जो खर्च गरीब व वंचित समुदायों पर होना था वह हो रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पहले गरीब-कमजोर तबकों के पक्ष में बजट में प्रावधान तो कर दिया जाता है पर बाद में इसका पालन ठीक से नहीं किया जाता है। इस स्थिति में यदि जागरुकता से तुरंत इस ओर ध्यान दिला दिया जाए तो इस अन्याय को रोका जा सकता है। यदि ऐसा तुरंत संभव न हो पर कुछ समय बाद या वर्ष के अंत में भी यह भली-भांति जांच कर बता दिया जाए कि ऐसा अन्याय हुआ तो आगे के लिए एक नसीहत मिल जाएगी। इस तरह की तथ्य आधारित जानकारी सामने आने से दबाव बनेगा कि आगे से ऐसी गलती न दोहराई जाए।

सवाल यह है कि इस महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी को कौन निभाए, कैसे निभाए? जहां तक बजट से पहले के विमर्श का सवाल है तो यह अपेक्षाकृत कम कठिन कार्य है। इस संदर्भ में कुछ प्रगति भी हुई

है। उदाहरण के लिए कुछ वित मंत्रियों ने श्रमिक संगठनों से या सामाजिक संगठनों से भी बजट संबंधी विमर्श हाल के समय में आरंभ किया है। इस दृष्टि से महिला-संगठनों से हुआ विमर्श भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न केवल गरीब लोगों के हितों की उपेक्षा का नहीं है अपितु महिलाओं के हितों पर समुचित ध्यान न देने का भी है। पर जो दूसरी जिम्मेदारी है कि वर्ष भर सरकार के खर्च की सूक्ष्म जांच की जाए ताकि गरीब उपेक्षित समुदायों के हितों की रक्षा हो सके तो यह एक अपेक्षाकृत अधिक जटिल जिम्मेदारी है।

इस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने के लिए वास्तविक सरकारी खर्च संबंधी विस्तृत आंकड़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा, उनकी जांच-परख करनी होगी। इसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत है जो अपना पूरा समय इस कार्य को दे सकें। फिर केवल इस तरह के आंकड़ों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त कर लेना ही तो पर्याप्त नहीं है। इस जानकारी को लोगों तक व्यापक स्तर पर भी पंहुचाना होगा। मीडिया व निर्वाचित प्रतिनिधियों का सहयोग भी लेना होगा ताकि सरकार पर जरूरी असर हो सके।

इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पिछले लगभग दो दशकों के दौरान एक प्रयास आरंभ हुआ कि देश में जगह-जगह पर बजट विश्लेषण केंद्र बनाए जाएं। इस प्रयास के लिए कई स्वैच्छिक संस्थाएं भी आगे आई हैं जैसे राजस्थान में आस्था व गुजरात में दिशा। इन विभिन्न बजट विश्लेषण केंद्रों की प्रमुख भूमिका यह रही है कि बजट का आकलन-मूल्यांकन गरीब व वंचित-उपेक्षित लोगों के दृष्टिकोण से किया जाए व इस आकलन से जो तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है उसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।

इस राह को अपनाते हुए इन बजट विश्लेषण केंद्रों ने कुछ महत्त्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं व गरीब-वंचित समुदायों से सरकारी खर्च के स्तर पर हो रहे अन्याय को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर साथ ही यह भी सच है कि इन बजट केंद्रों की अपनी भी सीमाएं हैं और समस्याएं हैं। इन सीमाओं और समस्याओं के बीच

में कुछ बजट केंद्रों ने अच्छा कार्य कर दिखाया है। साथ ही उन्हें सीमाओं व समस्याओं को दूर कर अपनी संभावनाओं को और बढ़ाने का कार्य भी करते रहना चाहिए जिससे भविष्य में और भी बेहतर परिणाम मिल सकें।

●

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र

राजस्थान के संदर्भ में बजट के विश्लेषण व गरीब लोगों के बजट के आकलन-मूल्यांकन की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाला है बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र ने। यह केंद्र राजस्थान की एक प्रमुख स्वैच्छिक संस्था 'आस्था' से जुड़ा हुआा एक ऐसा संस्थान है जो विशेष रूप से बजट संबंधी जिम्मेदारियों को संभालता है।

'आस्था' एक ऐसी संस्था है जिससे अपने 25 वर्षों के सफर के दौरान गरीब-वंचित समुदायों के संदर्भ में सतत् प्रयास किए हैं व कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। अपने इन सरोकारों को नई स्थितियों से जोड़ते हुए आस्था ने वर्ष 1996 से 2000 के बीच भूमंडलीकरण के छोटे किसानों, मजदूरों आदि विभिन्न मेहनतकशों पर हुए असर का एक व्यापक अध्ययन किया। इस अध्ययन के दौरान ऐसे कई मुद्दे सामने आए जिससे संस्था को अहसास हुआ कि मौजूदा दौर में विभिन्न वंचित-उपेक्षित समुदायों के दृष्टिकोण से बजट का आकलन कितना जरूरी हो गया है। संयोग से इन्हीं दिनों 'आस्था' की एक मित्र संस्था 'दिशा' (गुजरात) में बजट केंद्र का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा था व वहां से इस कार्य के बारे में काफी आरंभिक जानकारी मिल सकती थी। इस तरह एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती गई व राजस्थान में भी बजट संबंधी ऐसे कार्य के महत्त्व को देखते हुए राज्य की राजधानी जयपुर में बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र की स्थापना की गई। तब से अब तक लगभग एक दशक तक इस संस्थान ने बजट अध्ययन और विश्लेषण व इस संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारी के प्रसार की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है।

जैसा कि बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (संक्षेप में बजट केंद्र) के समन्वयक नेसार अहमद ने बताया, विभिन्न वंचित समुदायों जैसे दलित, आदिवासी, एकल महिलाओं आदि की दृष्टि से बजट का अध्ययन व आकलन करना व इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी का प्रचार-प्रसार करना इस केंद्र का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही बजट के बारे में सामान्य लोगों की जानकारी को बढ़ाने व बजट तथा बजट-प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने में भी बजट केंद्र प्रयासरत रहा है। बजट केंद्र ने ऐसी पुस्तिकाओं व साहित्य का प्रकाशन किया है जिससे बजट की जटिल शव्दावली के बावजूद इसे आम लोग समझ सकें।

राज्य बजट की पारदर्शिता का विस्तृत अध्ययन बजट केंद्र ने वर्ष 2009-10 के वित्तीय वर्ष की जानकारी के आधार पर किया जिसमें बजट में पारदर्शिता संबंधी निम्न कमियां पाई गईं -

- "बजट दस्तावेज़ सरकार के आय तथा व्यय का ब्यौरा सरकार की विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों (विभागों) के लिए उपलब्ध नहीं कराते हैं बल्कि केवल मुख्य शीर्ष वार (मेजर हैड वाईज) विवरण देते हैं।
- बजट दस्तावेज़ राज्य सरकार को केन्द्र सरकार एवं विदेशी संस्थाओं से मिले ऐसे धन, जो राज्य बजट के बाहर होते हैं, का पूरा विवरण नहीं देते हैं।
- बजट दस्तावेज़ कर माफी के कारण सरकार को कर में हुए नुकसान के आंकड़ें नहीं देते हैं।
- राजकोष को इंटरनेट से नहीं जोड़ा गया है।
- राज्य सरकार वर्ष के दौरान किए गए अनुबंधों (एमओयूस) की सूचना वाला कोई दस्तावेज नहीं निकालती है।
- राज्य के बजट दस्तावेज महिला घटक आयोजना/जेण्डर बजट पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं।

- बजट दस्तावेज़ अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना को बजट में दिखाए गए आवंटन तथा खर्च के आधारों की चर्चा नहीं करते हैं।
- बजट दस्तावेज ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे धन की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं।
- बजट दस्तावेज़ राज्य बजट के आवंटन तथा खर्चों का जिलावार विवरण नहीं देते हैं।"

●

दलित समुदाय से हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास

दलित समुदाय से न्याय करने के लिए व विभिन्न सरकारी योजनाएं बना उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार उचित लाभ देने के लिए भारतीय सरकार ने 'स्पैशल कंपोनेंट प्लैन' की व्यवस्था की। पर प्राय यह देखा गया कि इस प्लान का सही पालन नहीं हो रहा है। राजस्थान के संदर्भ में बजट केंद्र ने विभिन्न विभागों के आंकड़ों की विस्तृत जांच पड़ताल कर बताया कि स्पैशल कंपोनेंट प्लान का उल्लंघन कहां व किस तरह हो रहा है। इस दृष्टि से बजट केंद्र का वर्ष 2007 का एक अध्ययन बहुत चर्चित रहा जिसका शीर्षक था 'अपनी उचित हकदारी के हिस्से से दलितों को कब तक वंचित किया जाएगा'। जहां यह अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ, वहां बजट केन्द्र ने इसके बाद भी फालो-अप प्रयासों से इस मुद्दे को जीवंत बनाए रखा। इसका अच्छा परिणाम भी मिला। यह मुद्दा चर्चा का विषय बना और सरकार ने इस संदर्भ में कुछ सुधार भी किए जिससे स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अतंर्गत बेहतर बजट उपलब्ध हो सका।

बजट केंद्र के आकलन के अनुसार राज्य के आयोजना बजट में 2011-12 के बजट से पहले के 5 वर्षों में अनुसचित जाति उपयोजना का हिस्सा मात्र 2 से 4 प्रतिशत था जबकि जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से यह 17 प्रतिशत होना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को असरदार ढंग से उठाए जाने का एक महत्त्वपूर्ण असर वर्ष 2011-12 के बजट में देखा गया जब अनुसूचित जाति उपयोजना का बजट 9 प्रतिशत तक पहुंच गया।

●

अनुसूचित जन-जाति उपयोजना के लिए उचित आवंटन की मुहिम

इसी तरह बजट केंद्र ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना से बजट में हो रहे अन्याय की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित किया है। जहां आयोजना बजट में से (जनसंख्या के अनुपात के आधार पर) 12.5 प्रतिशत आदिवासियों के लिए मिलना चाहिए, वहां केंद्र के बजट समाचार ने आंकड़ों की जांच-पड़ताल कर जनवरी-मार्च 2012 के अपने अंक में बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के आयोजना बजट में जनजाति उपयोजना बजट का हिस्सा 2.5 से 4.5 प्रतिशत के बीच रहा है। इस तरह राज्य के आदिवासी करोड़ों रुपए के बजट से वंचित हुए हैं।

इस मुद्दे को असरदार ढंग से उठाए जाने के कारण वर्ष 2011-12 के बजट में अनुसूचित जनजाति उपयोजना का बजट 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गया जो कि एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।

आदिवासी कल्याण के अन्य मुद्दों पर भी बजट केंद्र ने पैनी दृष्टि रखी है। 'लुप्त होती लघुवन उपज' शीर्षक से प्रकाशित अध्ययन में बजट केंद्र के निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं -

- "क्षेत्र के 70.13 प्रतिशत आदिवासी लोग वन उपज संग्रह

करते हैं।
- आदिवासियों की कुल आय में लगभग 10 से 18 प्रतिशत आय लघु वन उपज से प्राप्त होती है।
- लगभग 57.04 प्रतिशत आदिवासी अपनी वन उपज को आकस्मिक समय (जैसे बीमारी, मौत, दवाई, शादी आदि) में बेचते हैं न कि तब जब बाजार में अधिक कीमत मिलती हो।
- लगभग 71.14 प्रतिशत लोगों ने बताया कि संग्रहण के वैज्ञानिक उपकरणों एवं तरीकों के अभाव में उनकी वन उपज खराब हो जाती है।
- क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से वन उपज की कुछ प्रजातियां जैसे धावड़ा, सालर, खेर, सफेद मूसली, आदि नष्ट हो रही हैं।
- वन उपज के नष्ट होने के प्रमुख कारणों में वानिकी के दौरान प्रतिस्थापित पौधों में अन्य पौधे लगाना, वनों की अनियमित कटाई, सूखा आदि हैं।
- क्षेत्र के 70 प्रतिशत से अधिक लघु वन उपज संग्रहकर्ताओं ने बताया कि राजस संघ द्वारा घोषित कीमतों से संतुष्ट नहीं हैं।
- क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने बताया कि लघु वन उपज को खुले बाजारों एवं स्वयं सहायता समूहों को बेचने में अधिक लाभ होता है।
- संसद ने 15 दिसम्बर 2006 को राष्ट्रीय वन मान्यता कानून पारित किया, जिसके अन्तर्गत लघु वन उपज के संग्रहण एवं स्वामित्व का अधिकार तो प्रदान किया गया किन्तु परिवहन के अधिकार को स्पष्ट नहीं किया गया जिसके कारण संग्रहकर्ताओं को वन विभाग के कर्मचारियों एवं ठेकेदारों द्वारा परेशान किया जाता है।"

●

विभिन्न स्तरों पर संपर्क-सूत्र

जहां इस तरह के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सरकारी आंकड़ों का आकलन करना व अन्य अध्ययन करना महत्त्वपूर्ण है, वहां इस अध्ययन व अनुसंधान से प्राप्त जानकारी को अधिक लोगों तक पंहुचाना जरूरी है। इस कार्य में मीडिया का सहयोग महत्त्वपूर्ण है व बजट केंद्र ने भी मीडिया के सहयोग से ऐसी बहुत सी उपयोगी जानकारी लोगों तक पंहुचाई है।

विधायकों के लिए बजट केंद्रों ने विशेष मीटिंगों का आयोजन भी किया है जिनसे उन्हें गरीब-वंचित वर्गों की दृष्टि से बजट संबंधी उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो सके तथा इस जानकारी का बेहतर उपयोग वे कर सकें।

बजट केंद्र ने दलित, आदिवासी, एकल महिलाओं आदि उपेक्षित-वंचित समुदायों के संगठनों से संपर्क कर उन्हें भी उनके संदर्भ में बजट संबंधी उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाई है। चाहे 'आस्था' का आदिवासी हकदारी का कार्य हो या दलित संगठनों के अभियान हों, उन्हें बजट केंद्र की जानकारी से काफी सहायता मिली है। ऐसे कुछ संगठनों की विशेष मांग होने पर उनके लिए बजट संबंधी उपयोगी जानकारी विशेष तौर पर खोज कर उपलब्ध करवाने की भूमिका भी समय-समय पर बजट केंद्र ने निभाई है।

●

न्यूनतम मजदूरी का अभियान

ऐसा ही एक अवसर वर्ष 2010 में उत्पन्न हुआ जब सूचना एवं रोजगार अभियान के बैनर तले राजस्थान के अनेक जन संगठन न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के संघर्ष के लिए एकजुट हुए। इस संघर्ष का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था कि इसमें मौजूदा दौर में आय की गंभीर विषमताओं की ओर ध्यान दिलाया गया था और इस आधार

पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की मांग को धार दी गई थी।

इस संघर्ष की सफलता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था कि मजदूरी में वृद्धि के औचित्य का आधार तय करने के लिए आवश्यक जानकारियों व आंकड़ों का संकलन किया जाए। इस प्रयास में बजट केंद्र ने अपना भरपूर सहयोग किया।

कमजोर वर्ग के छात्रावास के छात्रों को स्वीकृत बजट के अनुकूल सुविधाएं प्राप्त करने में जो कठिनाई थी, उन्हें सुलझाने के लिए भी बजट केंद्र ने जरूरी जानकारी एकत्र कर उन तक पंहुचाई।

●

खेती-किसानी व खाद्य-सुरक्षा के मुद्दे

भूमंडलीकरण के इस दौर में खेती-किसानी की समस्याओं को समझने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हो रहे बदलावों को जानना भी जरूरी है। इस संदर्भ में बजट केंद्र ने व्यापार के उदारीकरण के भारतीय कृषि क्षेत्र पर असर संबंधी एक अध्ययन प्रकाशित किया।

कृषि ऋण के महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर बजट केंद्र ने राजस्थान के 10 जिलों के 200 किसानों में सर्वेक्षण किया।

'आस्था' के सहयोग से बजट केंद्र ने दक्षिण राजस्थान के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं संबंधित योजनाओं पर भी एक अध्ययन वर्ष 2010 में प्रकाशित किया। इस अध्ययन के कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न हैं -

- "लगभग 47.34 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि राशन की दुकान गांव के बाहर स्थित है।
- सर्वे क्षेत्र के लगभग आधे परिवारों के अनुसार उनके यहां राशन की दुकान 2 से 5 दिन तक ही खुलती है, जिससे सभी लोग इससे लाभांवित नहीं हो पाते हैं।

- क्षेत्र के लगभग 31 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके यहां राशन की दुकान एक दिन में मात्र 1 से 3 घंटे खुलती है।
- सर्वे क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत परिवारों का यह कहना था कि उन्हें राशन दो माह या उससे अधिक अंतराल पर मिलता है। अतः हर माह राशन नहीं मिलने से उनकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
- सर्वे क्षेत्र में 11 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके राशन कार्ड अन्य व्यक्ति जैसे डीलर आदि के पास रहते हैं।
- लगभग 86 प्रतिशत परिवारों को निगरानी समिति के सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं है।
- लगभग 20 प्रतिशत परिवारों के जॉब कार्ड अधूरी इन्ट्रीज (प्रविष्टियों) वाले थे या बिल्कुल खाली एवं करीब 29 प्रतिशत परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं मिले। अतः हम कह सकते हैं क्षेत्र में करीब 50 प्रतिशत परिवारों के जॉब कार्ड में अनियमितताएं हो सकती हैं।
- लगभग 51 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके वहां काम के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्थापित नहीं है, जिससे पंचायतों की मनमर्जी से ही मजदूरों को काम पर लगाया जाता है।
- करीब 57 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि हम जब जरूरत होने पर काम मांगते हैं तो हमें काम नहीं मिलता।
- लगभग 42 प्रतिशत परिवारों को भुगतान 1 से 2 माह में ही मिलता है, जबकि लगभग 37 प्रतिशत परिवारों को तो 2 माह से भी अधिक समय तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है।
- लगभग 50 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके कार्यस्थल पर जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का बोर्ड नहीं लगता है।
- लगभग 79 प्रतिशत परिवारों ने कभी भी सामाजिक अंकेक्षण में भाग नहीं लिया और न ही सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा के

समय सूचना मिली। जबकि 11 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्हें सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है।”

•

एकल नारी महिलाओं की पेंशन वृद्धि के प्रयास

राजस्थान में ‘आस्था’ संस्था के बहुपक्षीय प्रयासों से जुड़े एकल महिला संगठन ने एकल महिलाओं की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने व उनके आंशिक समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एकल महिला संगठन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट केंद्र ने राजस्थान में विधवाओं की चिंताजनक स्थिति पर फरवरी 2007 में एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसमें उपलब्ध आंकड़ों की विस्तृत जांच पड़ताल कर बताया गया कि राज्य में विधवा महिलाओं की संख्या लगभग 16 लाख है जिनमें से अधिकांश जरूरतमंद हैं, जबकि मात्र 2 लाख विधवा महिलाआं को पेंशन देने के लिए ही राज्य सरकार के बजट में व्यवस्था है। साथ ही विधवा पेंशन की राशि भी बहुत कम है।

बजट केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाये गए इस अध्ययन की ठोस जानकारियों से एकल महिला संगठन के हाथ मजबूत हुए व विधवा पेंशन को बढ़वाने में उन्हें मदद मिली।

इस तरह जब बजट केंद्र का कार्य किसी वंचित समुदाय से जुड़े संगठन के कार्य के साथ मिलता है तो इस आपसी सहयोग से दोनों के कार्य की सार्थकता बढ़ती है और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

महिलाआं की हकदारी को बजट के संदर्भ में बढ़ाते हुए बजट केंद्र ने स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (या जेंडर

बजट) की पैरवी के प्रयास भी किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बजट में महिलाओं के प्रति न्याय हो।

●

शिक्षा की चिंताजनक स्थिति

बजट केंद्र ने दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा के अधिकार पर एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन वर्ष 2012 में प्रकाशित किया। इस अध्ययन के अनुसार -

- "शिक्षा के अधिकार कानून के मापदंडों के अनुसार राज्य के विद्यालयों की स्थिति काफी खराब है एवं आगामी तीन वर्षों में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने हेतु सरकार को विद्यालयों में, इसके मानदंड के अनुसार, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा।
- कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होना चाहिए जबकि सरकार वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का मात्र 3 से 3.5 प्रतिशत के करीब शिक्षा पर व्यय कर रही है।
- राज्य में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में करीब 10.45 प्रतिशत छात्र/छात्राएं स्कूल से वंचित हैं।
- प्राथमिक शिक्षा में कुल ड्रोप आऊट रेट 10.54 प्रतिशत है, जिसमें छात्राएं 10.72 प्रतिशत एवं छात्र 10.39 प्रतिशत हैं।
- राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में कुल नामांकन दर 89.6 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 55 प्रतिशत है।
- राज्य में करीब 33.8 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जो मात्र 1 अध्यापक के सहारे चल रहे हैं।

●

आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति पर अध्ययन के निष्कर्ष :

- चुने हुए परिवारों में से करीब 35 प्रतिशत परिवारों में बालक/बालिका ड्रोप आऊट पाए गए।
- सर्वे क्षेत्र में शामिल कुल 159 परिवारों में से 12 प्रतिशत से अधिक परिवारों में बाल मजदूर पाए गए। साथ ही करीब 4.5 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ मजदूरी भी करते हैं।
- बालक छात्रावासों की तुलना में बालिका छात्रावासों की संख्या बहुत कम है।
- आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में कपड़े एवं अन्य सुविधाएं समय पर नहीं मिलती हैं।"

●

अन्य अध्ययन

इसके अतिरिक्त जल, स्वास्थ्य आदि अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर भी बजट केंद्र ने विशेषकर कमजोर वर्ग की जरूरतों के संदर्भ में कार्य किया है। 'स्वजलधारा - व्यर्थ बहा जनता का पैसा' शीर्षक से अध्ययन वर्ष 2008 में प्रकाशित हुआ।

इस तरह के अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे बजट के संदर्भ में उठाने के साथ बजट केंद्र ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन किया है। इस संदर्भ में संस्थान का वर्ष 2012 का प्रकाशन 'राजस्थान—वर्तमान वित्तीय स्थिति' महत्त्वपूर्ण माना गया है।

●

बजट व पंचायत राज

बजट केंद्र ने पंचायत राज का अध्ययन बजट से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में किया है। इसमें एक ओर तो यह मुद्दा है कि पंचायतों को, व्लाक पंचायतों को या जिला परिषदों को आवंटन किस तरह व किस आधार पर होता है। राज्य वित्त आयोग की भूमिका का अध्ययन भी इसमें शामिल है। इस संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के अध्ययन में बताया गया है कि पंचायतों को जिलेवार आवंटन की सूचना के आधार पर किसी एक ग्राम पंचायत व पंचायत समिति को देय राशि का पता लगा पाना संभव नहीं है। दूसरी ओर पंचायत राज संस्थानों की विभिन्न स्तरों पर अपना बजट तैयार करने की तैयारियों व उसमें आ रही कठिनाईयों का भी केंद्र ने अध्ययन किया है। पंचायतों में पारदर्शिता लाने के विभिन्न उपायों विशेषकर सामाजिक अंकेक्षणों का अध्ययन भी केंद्र ने किया है। वैसे भी दक्षिण राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण के कार्य को आगे ले जाने में 'आस्था' संस्था ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

● ● ●

सम्पर्क :

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राज.)

फोन/फैक्सः 0141-2385254

ई-मेल : info@barcjaipur.org

वेबसाईट : www.barcjaipur.org

प्रकाशन व मीडिया क्षेत्र में सार्थक प्रयास

सम्पर्क - मधु व भारत डोगरा

(1) <u>हमारे प्रकाशन</u> - विकास, पर्यावरण, समाज सुधार, जन आंदोलनों आदि विषयों पर हमारे लगभग 210 प्रकाशन (पुस्तक व पुस्तिकाएं) हैं - 105 हिन्दी में व 105 अंग्रेजी में। अंग्रेजी के सेट का मूल्य 2800 रु. व हिन्दी के सेट का मूल्य 2000 रु.

(2) <u>प्रेस-क्लिपिंग सेवा</u> - विकास, पर्यावरण, समाज-सुधार, जन-आंदोलनों आदि विषयों पर हिंदी व अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाओं की कतरनें हमारे पास उपलब्ध हैं। इन्हें 45 विषयों में बांटा गया है व प्रत्येक विषय की हिंदी व अंग्रेजी कतरनों का मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है। इन विषयों का सूची पत्र (शुल्क सहित) प्राप्त करने के लिए हमें लिखें।

(3) <u>लेख सेवा</u> - ऊपर बताए विषयों पर हम प्रति माह लगभग आठ लेख प्रेषित करते हैं। (चार लेख हिंदी में व चार अंग्रेजी में)। आप लेखों को प्रकाशन अधिकार सहित हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वार्षिक शुल्क - हिन्दी में 1500/- रुपए, अंग्रेजी में 1500/- रुपए व दोनों भाषाओं में 3000 रुपए।

(4) <u>लाईब्रेरी सेट</u> - अपने प्रकाशनों के साथ विख्यात साहित्य, (कहानी-उपन्यास, नाटक-कविता), बाल साहित्य, नव साक्षर साहित्य आदि से लाईब्रेरी आरंभ करने के लिए 150 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस लाईब्रेरी सैट (150 पुस्तकों) की डाक खर्च सहित कीमत है 2700 रुपए।

इन प्रयासों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

सोशल चेंज पेपर्स

सी-27, रक्षा कुंज, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

दूरभाष : 011-25255303

वैबसाईट : www.bharatdogra.in